झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सीएमपी संख्या 390/2019

बाबुल चंद्र पोद्दार

.... याचिकाकर्ता।

बनाम

1. मसो. राशि देवी

2. छेदी चंद्र पोद्दार3 श्रीमती हरनी देवी

4. श्रीमती अंगूर देवी. .....उत्तरदाता।

सी0एम0पी0 संख्या-356/2019

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए: श्री बीरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : ----- -

आदेश संख्या 05 **दिनांक : 24.06.2022**

इस सिविल विविध याचिका (पुनर्बहाली याचिका) को दायर करने में की गई 251 दिनों की देरी के लिए याचिकाकर्ता की ओर से माफी हेतु आईए संख्या 1284/2022 दाखिल की गई है।

उक्त आवेदन पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय सिविल पुनरीक्षण संख्या 74/2006 की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण पर ध्यान देना उचित समझता है, जिसे दिनांक 13 अगस्त, 2018 के आदेश के तहत गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था।

सिविल संशोधन संख्या 74/2006 के आदेश फलक के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 2 जनवरी, 2014 से ही याचिकाकर्ता की ओर से उक्त मामले में कोई भी पेश नहीं हो रहा था।

अंततः, 13 अगस्त 2018 के आदेश में उक्त मामले को गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया। इस बीच की अवधि में, दिनांक 12 अप्रैल, 2018,11 जून, 2018 और 13 जून, 2018 को भी इस मामले की सुनवाई की गई थी। लगभग सभी आदेशों में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा यह कहा गया है कि यदि अगली तारीख पर भी कोई उपस्थित नहीं होता है, तो मामले को या तो गैर-अभियोजन के एवज में खारिज कर दिया जाएगा या आवश्यक आदेश पारित कर दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता के विद्वत वकील की दलीलें सुनने के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान सी. एम. पी. को सिविल पुनरीक्षण संख्या 74/2006 की पुनर्बहाली के लिए दाखिल किया गया है तथा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उक्त मामले की पैरवी करने में घोर लापरवाही बरती थी, यह न्यायालय पुनर्बहाली की मांग करने वाली इस सीएमपी को दाखिल करने में हुई 251 दिनों की देरी माफ करने की इच्छुक नहीं है।

इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय वर्तमान सीएमपी दाखिल करने में हुई देरी की माफी के लिए आईए संख्या 1284/2022 में दी गई सफाई से भी संतुष्ट नहीं है।

तदनुसार, आईए संख्या 1284/2022 को खारिज किया जाता है। इस सी. एम. पी. को भी खारिज किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)

संजय/